रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/97 REGISTERED No. DL—33001/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 8, 1997 (माघ 19, 1918)
No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 8, 1997 (MAGHA 19, 1918)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग

शुद्धि पत्र

मुम्बई, दिनांक 20 जून 1996

सं० 12/08-15.01/95-96—भारत सरकार, भाग III खण्ड 4, सं० 29 पर दिनांक 20 जुलाई, 1996 को प्रकाशित हिंदी पाठ में पायी गई मुद्रण की त्रुटियां।

पृष्ठ संख्या	पैरा	त्रुटि	सुधार
3539	1 सोलहवीं पंक्ति	प्रतिशत	प्रतिशत से अधिक

ह० अपठनीय
कार्यपालक निदेशक

भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

मुंबई, दिनांक 23 दिसम्बर 1996

सूचना

बैंककारी विनियम अधिनियम 1949 की धारा 35 (ख) के निबंधनानुसार भारतीय स्टेट बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से श्री धीरेन्द्र गुप्ता की एसबीआई कमर्शियल एण्ड इंटरनेशनल बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्ति को 30 सितम्बर 1997 तक के लिए बढ़ा दिया है।

पी. जी. काकालेकर
अध्यक्ष

दिनांक 24 दिसंबर 1996

सूचना

भारतीय स्टेट बैंक (सहयोगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 29(1) के निबंधनानुसार भारतीय स्टेट बैंक ने स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र के निदेशक बोर्ड से परामर्श करके तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से श्री एस. बी. कूचेरिया को कार्य-ग्रहण तिथि से 31 अगस्त 1999 (दोनों दिन सम्मिलित) तक के लिए स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र के प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया है ।

पी. जी. काकोडकर
अध्यक्ष

दिनांक 26 दिसंबर 1996

सूचना

भारतीय स्टेट बैंक (सहयोगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 29(1) के निबंधनानुसार भारतीय स्टेट बैंक ने स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर के निदेशक बोर्ड से परामर्श करके तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से श्री जी. जी. बंधु को कार्यग्रहण तिथि से 9 अक्तूबर 1998 (दोनों दिन सम्मिलित) तक के लिए स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर के प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया है ।

पी. जी. काकोडकर
अध्यक्ष

सूचना

भारतीय स्टेट बैंक (सहयोगी) बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 29 (1) के निबंधनानुसार भारतीय स्टेट बैंक ने स्टेट बैंक आफ इन्दौर के निदेशक बोर्ड से परामर्श करके तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से श्री राम के. गुप्ता को कार्यग्रहण तिथि से 30 अप्रैल 1999 (दोनों दिन सम्मिलित) तक के लिए स्टेट बैंक आफ इन्दौर के प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया है ।

पी. जी. काकोडकर
अध्यक्ष

दी इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया

नई दिल्ली–110002, दिनांक 24 जनवरी, 1997

सं० 13-सी० ए० (परीक्षा) एम०/97:—चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के रेगुलेशन 22 के अनुसार दि कौंसिल आफ दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया को अधिसूचना जारी करने में प्रसन्नता है कि फाउन्डेशन, इंटरमीडिएट और फाईनल की परीक्षाएं निम्नलिखित तिथियों तथा केन्द्रों पर होंगी, बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी निवेदन करते है ।

फाउन्डेशन परीक्षा	7, 8, 9 और 10 मई, 1997
इण्टरमीडिएट परीक्षा	
ग्रुप I	2 3 और 5 मई 1997
ग्रुप II	6, 7 और 8 मई 1997
फाइनल परीक्षा	
ग्रुप I	2, 3 5 और 6 मई, 1977
ग्रुप II	7, 8 9 और 10 मई, 1997

परीक्षा केन्द्र

1. आगरा
2. अहमदाबाद
3. अजमेर
4. इलाहाबाद
5. अम्बाला
6. बंगलौर
7. बड़ौदा
8. बेलगांव
9. भोपाल
10. कलकत्ता
11. कालीकट
12. चण्डीगढ़
13. चेन्नई (मद्रास)
14. कोयम्बटूर
15. कटक
16. दिल्ली/नई दिल्ली
17. इरनाकुलम
18. गोहाटी
19. गाजियाबाद
20. गोआ
21. ग्वालियर
22. हैदराबाद
23. इन्दौर
24. जयपुर
25. जम्मू
26. जोधपुर
27. कानपुर
28. काठमांडू (नेपाल)
29. कोट्टायम
30. लखनऊ
31. लुधियाना
32. मदुरई
33. मंगलोर
34. मेरठ
35. मुम्बई (बम्बई)
36. मैसूर
37. नागपुर
38. नासिक
39. पटना
40. पुणे

41. रायपुर
42. राजकोट
43. सेलम
44. सूरत
45. तिरूचिरापल्ली
46. त्रिपुर
47. त्रिवेन्द्रम
48. उदयपुर
49. विजयवाड़ा
50. विशाखापटनम
51. यमुनानगर

केवल इन्टरमीडिएट और फाईनल की परीक्षाएं काठमांडू (नेपाल) केन्द्र पर होंगी।

परीक्षा शुल्क की राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा इंस्टीट्यूट के सचिव के पक्ष में होनी चाहिए और उसकी अदायगी नई दिल्ली पर हो।

परिषद् अपने विवेकाधिकार के अन्तर्गत किसी भी परीक्षा केन्द्र को बिना कोई कारण दिए रद्द कर सकती है।

उक्त परीक्षाओं के लिए आवेदन निर्धारित आवेदन पत्रों पर ही किया जाना चाहिए, जो कि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया के अतिरिक्त सचिव (परीक्षा) के इन्द्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली स्थित कार्यालय से 15 रुपए प्रति आवेदन पत्र भुगतान करने पर मिल सकता है। उपर्युक्त प्रमाण पत्रों और शुल्क के साथ डिमांड ड्राफ्ट लगाकर आवेदन पत्र इस प्रकार भेजा जाना चाहिए कि वह अतिरिक्त सचिव (परीक्षा) के कार्यालय में 26-2-1997 तक पहुंच जाए। आवेदन पत्र अतिरिक्त सचिव (परीक्षा) के दिल्ली कार्यालय में 26-2-1997 के बाद 5-3-1997 तक 50/- रुपए विलम्ब शुल्क के साथ भी स्वीकार किए जाएंगे। 5-3-1997 के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र इन्स्टीट्यूट के कार्यालय, नई दिल्ली में स्वयं भी आकर दिया जा सकता है या रीजनल काउन्सिलों के मुम्बई (बम्बई), चेन्नई (मद्रास), कलकत्ता, कानपुर तथा ब्रांच अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद और पुना के कार्यालयों में 26-2-1997 तक जमा कराया जा सकता है। इन नगरों में रहने वाले परीक्षार्थियों को इस सुविधा का फायदा उठाने की सलाह दी जाती है।

विभिन्न परीक्षाओं के लिए देय शुल्क इस प्रकार है :—

फाउण्डेशन परीक्षा	(शुल्क)	रुपये 375/-
इंटरमीडिएट परीक्षा		
दोनों ग्रुपों के लिए		रुपए 525/-
केवल एक ग्रुप के लिए		रुपए 300/-
यूनिट एक*		रुपए 300/-
यूनिट दो*		रुपए 300/-
यूनिट तीन*		रुपए 225/-
यूनिट चार*		रुपए 300/-

*इकाई यूनिट शब्दावली का आशय पेपर्स के उस समूह से है जिसे उन अभ्यर्थियों को, जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स इन्टरमीडिएट नियमावली की अनुसूची "बी" के अनुच्छेद 2"ब" में निर्दिष्ट पाठ्यक्रम के अन्तर्गत परीक्षा आरम्भ होने से पूर्व दोनों ग्रुपों को पास नहीं कर सके हैं और एक ही ग्रुप में उत्तीर्ण हुए हैं, परीक्षा में बैठना है, और पास करना है।

फाईनल परीक्षा	
दोनों ग्रुपों के लिए	रुपए 600/-
केवल एक ग्रुप के लिए	रुपए 350/-
**इकाई यूनिट-2 पेपर तक	रुपए 275/-
**इकाई यूनिट-2 पेपर से अधिक तथा 4 पेपरों तक सीमित	रुपए 350/-
**इकाई यूनिट -5 पेपर व उससे अधिक	रुपए 600/-

**यूनिट शब्दावली का आशय पेपरों के उस समूह से है जिसे उन अभ्यर्थियों को जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1964 के अन्तर्गत शेड्यूल "बी" और (बी बी) पाठ्यक्रम के अन्तर्गत नवम्बर 1986 से पूर्व एक या एक से अधिक ग्रुप पास कर चुके हैं लेकिन सभी ग्रुप पास नहीं किये हैं को अब चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के शेड्यूल "बी" के अनुच्छेद "3ए" में शेष अनुरूप पेपरों में एक साथ बैठना है और पास करना है।

काठमांडू केन्द्र से बैठने वाले इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षार्थियों को रुपए 750/- या उससे समंमूल्य की विदेशी मुद्रा का शुल्क अदा करना पड़ेगा चाहे वह इण्टरमीडिएट/फाईनल परीक्षा के एक पेपर, एक ग्रुप, एक यूनिट या दो ग्रुपों में बैठ रहे हों।

हिन्दी में उत्तर लिखने की ऐच्छिकता

फाउन्डेशन, इण्टरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं के उम्मीदवारों को उत्तर हिंदी माध्यम से भी देने की सुविधा दी जाती है। विस्तृत जानकारी आवेदन पत्र के साथ संलग्न सूचना पत्र में उपलब्ध है।

जगदम्बा प्रसाद
अतिरिक्त सचिव (परीक्षा)

कानपुर-208001, दिनांक 20 दिसम्बर 1996

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

सं० 3 सी० सी० ए० 4/2/96-97--चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान विनियम सन् 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1-क द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों के नाम उनके आगे दी गई तिथियों से हटा दिया गया है।

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम व पता	दिनांक
1.	4684	श्री मेहता गौतम राज बी० लक्ष्मी पेट्रोल पम्प, एम० आई० रोड, जयपुर-302001	1-10-95
2.	8748	श्री जैन पदम चन्द, 6 नवयुग मार्केट गाजियाबाद-201001	18-7-96
3.	9041	श्री शर्मा गुरचरन लाल 1/229 विकास नगर कुर्सी रोड लखनऊ	24-2-96
4.	73700	श्री अजय शंकर बी-713 सेक्टर सी-4 महानगर लखनऊ	12-5-96
5.	83736	श्री गोयल त्रिलोक चन्द्र 9-ए न्यू मण्डी, विहाइण्ड एस० बी० बी० जे० मुजफ्फरनगर-251001	4-4-96

के० आर० ए० एन० अंबर,
सचिव (वर्तमान कार्यभार)

दिनांक 6 जनवरी 1997

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

सं० 3 सी० सी० ए० (4) (3)/96-97—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1949 की धारा (20) उपधारा (1) (ग) प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से निम्नलिखित सदस्यों का नाम निर्धारित शुल्क न जमा कराने के कारण उनको 1-10-96 से हटा दिया है ।

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम व पता
1.	055449	मि० बरनवाल अरविन्द कुमार संगम गली (बरनाल मेडिकल) मऊनाथ भंजन, मऊ-276101
2.	073591	मि० भट्टाचार्य अनजन डी-2020, इन्दिरा नगर अपो० भारत ओवरसीज बैंक लखनऊ-226016
3.	024341	मि० झंवर ओम प्रकाश मा० राम किशोर राठी एण्ड कम्पनी यू० जी० 3, गुलाब भवन चोपासानी रोड, जोधपुर-342003
4.	991688	मि० दीक्षित सन्तोष कुमार पचौरी कम्पाउण्ड नियर होटल मेघदूत कोर्ट रोड मैनपुरी

के० आर० ए० एन० अय्यर
सचिव (वर्तमान कार्यभार)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 22 नवम्बर 1996

सं. एक्स-11/14/3/90-संग्रह-2—कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने भारत के राजपत्र भाग-3, खण्ड-4 दिनांक 24-2-1996 में प्रकाशित अपनी अधिसूचना संख्या : एक्स-11/14/3/90-यो. एवं वि. संग्रह-2 दिनांक 5-2-1996 द्वारा काजू कामगारों के लिए पात्रता शर्तें, हितलाभों की अवधि और दरों में किए गए आशोधनों की समीक्षा की अवधि को 1-10-1995 से आरम्भ एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया था। क.रा.बी. निगम ने 5-10-1996 को हुई बैठक में इस पर पुनः विचार किया और योजना को निर्धारित तारीख अर्थात् 30-9-1996 के बाद न बढ़ाने का निर्णय किया । तथापि, यह निर्णय किया गया है कि उन कामगारों को जो 1-7-1996 से काजू कामगार योजना के अन्तर्गत पात्र हो गए हैं, 31-12-1996 तक चिकित्सा हितलाभ उपलब्ध कराया जाता रहेगा परन्तु नकद हितलाभ केवल 30-9-1996 को समाप्त होने वाली अवधि तक ही सीमित रहेगा ।

बालकृष्ण गुप्ता
बीमा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 16 दिसम्बर 1996

सं. यू-16/53/94-चि. 2(असम)—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1958 के विनियम-105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 25-4-1951 की बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में, मैं एतद्द्वारा चन्द्रपुर केन्द्र व क्षेत्रीय उप चिकित्सा आयुक्त (पूर्वी जोन) द्वारा नियत किए गए क्षेत्रों के लिए, बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच करने और मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें और प्रमाण-पत्र प्रदान करने के प्रयोजन के लिए मौजूदा मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए डा. एस. पी. शर्मा की सेवाएं (1-12-96 से 31-10-97 की अवधि तक) या पूर्णकालिक चिकित्सा निदेशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाता हूं ।

सुरेन्द्र कुमार शर्मा
महानिदेशक

दिनांक 3 जनवरी 1997

सं. यू-16/53/96-चिकित्सा-2 (महाराष्ट्र)—कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में इसके द्वारा मैं वाशी के डा. के. पी. भगत, चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी. अस्पताल, वाशी को अपनी ड्यूटी के अलावा पदेन अंशकालिक चिकित्सा निदेशी के रूप में अर्थात् उनके द्वारा कार्य संभालने की तारीख से एक वर्ष के लिए स्थानीय कार्यालय, वाशी, मुंबई में चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में अथवा पूर्णकालिक चिकित्सा निदेशी के कार्यभार ग्रहण करने तक इसमें से जो भी पहले हो, बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या आधारित मौजूदा मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर, प्राधिकृत करता हूं तथा बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा कराने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता में संदेह होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए क्षेत्रों का आवंटन उप चिकित्सा आयुक्त (पश्चिम क्षेत्र) द्वारा किया जाएगा ।

सुरेन्द्र कुमार शर्मा
महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 13 दिसम्बर 1996

सं. एन-15/13/12/1/96-यो. एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम-95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम-1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 16-12-1996 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा राजस्थान कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ राजस्थान राज्य में निम्नलिखित क्षेत्र में बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे । अर्थात् :

"जिला कोटा की तहसील लाडपुरा के राजस्व ग्राम नोहरा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र"

एल. के. पटनायक
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-15/13/12/2/96-यो. एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम-95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम-1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 16-12-1996 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित

की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा राजस्थान कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ राजस्थान राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे । अर्थात् :

"अजमेर जिले की तहसील किशनगढ़ के राजस्व ग्राम सावंतसर की सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र"

एल. के. पटनायक
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

दिनांक 3 जनवरी 1997

सं. एम. 15/13/14/2/95-यो. एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम-95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम-1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1-7-96 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे । अर्थात् :

"जिला मदुरै के आन्डीपट्टी तालुक में राजस्व ग्राम सिम्मरसनायकनूर, कार्यालय पट्टी, शन्मुगसुन्दरपुरम और टी. सुब्बुलापुरम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र"।

एल. के. पटनायक
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
(केन्द्रीय कार्यालय)

नई दिल्ली—110066, दिनांक 21 जनवरी 1997

सं० सम्मेलन 5(13)/95/एच० पी०/183—कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952 के पैराग्राफ 5 के साथ पठित पैराग्राफ 4 के उप पैराग्राफ (1) के अनुसरण में तथा केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा जारी अधिसूचना सं० सम्मेलन 5 (13)/89/एच० पी०/ 334-40 दिनांक 31-1-92 जो कि दिनांक 3 जनवरी 1992 को भारत के राजपत्र के भाग-III खण्ड 4 में प्रकाशित हुआ है का अतिक्रमण करते हुए अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि हिमाचल राज्य के लिए एक क्षेत्रीय समिति का गठन करता है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात् :—

1.	वित्तीय आयुक्त तथा सचिव (श्रम) हिमाचल प्रदेश सरकार	अध्यक्ष केन्द्रीय बोर्ड द्वारा नियुक्त
	सदस्य	
2.	श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश	राज्य सरकार की सिफारिश पर अध्यक्ष केन्द्रीय बोर्ड द्वारा नियुक्त दो अधिकारी
3.	संयुक्त सचिव (वित्तीय विनियम) हिमाचल प्रदेश सरकार	
	कर्मचारियों के प्रतिनिधि	
4.	श्री अजीत मम्मा, एफ० आई० ई०, महासचिव, एफ० सी० चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, सराफिगंज शिमला 1	राज्य में नियोक्ता संगठनों के परामर्श से अध्यक्ष केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा नियुक्त नियोक्ताओं के 3 प्रतिनिधि।
5.	श्री अरुण सूरी, मुख्य कार्यकारी मै० मोरपैन इण्डस्ट्रीज प्रा० लि० गांव मसुलखाना परवानूर जिला सोलन (हि० प्र०)	
6.	श्री आलोक शर्मा प्रबन्धक मै० फोर्ज (इण्डिया) प्रा० लि० प्लाट नं० 60 सेक्टर 5, परवानू (हि० प्र०)	
	कर्मचारियों के प्रतिनिधि	
7.	श्रीमती कांता सूद अध्यक्ष, इण्टक 35 दी माल शिमला-1	राज्य में कर्मचारियों के संगठनों के परामर्श से अध्यक्ष केन्द्रीय बोर्ड द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के तीन प्रतिनिधि
8.	श्री कामेश्वर पण्डित अध्यक्ष, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस फेस्टोज शिमला-1	
9.	श्री विजय सिंह, महासचिव, भारतीय मजदूर संघ, गांव व पो० आ० बेधरा वाया सलोह, जिला उना (हि० प्र०)	
10.	राज्य के प्रभारी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय समिति के सचिव होंगे।	

राधेश्याम कौशिक
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

दिल्ली नगर कला आयोग
भारत पर्यावास केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 29 जनवरी 1997

शुद्धि पत्र

सं. 3(3)/94-डी.यू.ए.सी.—दिल्ली नगर कला आयोग, दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम, 1973 (1974 का 1) की धारा 9 की उपधारा (3) के साथ पठित उसकी धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, दिल्ली नगर कला आयोग (लिपिकीय तथा गैर-लिपिकीय) भर्ती विनियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए विनियम, भारत के राजपत्र भाग-3 खण्ड 4 के क्रम सं. 41 दिनांक 12 अक्तूबर, 1996 के पृष्ठ सं. 5432 के स्तंभ 1 में

1.2. दिल्ली नगर कला आयोग (लिपिकीय तथा गैर लिपिकीय) के स्थान पर

1 (2) में राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

पढ़ा जाए और

स्तंभ 2 पर

"स्थानांतरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा", के बाद

2 (क) स्तंभ 11 के नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

पढ़ा जाए ।

एम. टी. मेश्राम
सचिव

छावनी परिषद्

देवलाली, दिनांक 31 दिसम्बर 1996

फा. सं. 207/आरईव्ही/इ. 1/2944—चूंकि छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 255 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 61 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार देवलाली छावनी की सीमा के अंदर, भवनों तथा मकानों पर कर लगाने के लिए, कुछेक प्रारूप प्रस्तावों की एक सार्वजनिक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 17 जून 1995 को प्रसिद्ध की गई थी और देवलाली छावनी के विशिष्ट क्षेत्रों में भी यह यह सूचना लगाई गई थी जिसके अंतर्गत यह सूचना प्रसिद्ध होने की तिथि से 30 दिन की अवधि के अंदर इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और चूंकि प्रभावित व्यक्तियों से प्राप्त आपत्तियों तथा सुझावों पर छावनी परिषद्, देवलाली द्वारा विचार किया गया है;

अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस प्रकार के अधिरूपण से पूर्व किए गए कार्य या करने के लिए छोड़े गए कार्यों को छोड़कर भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 207/आरईव्ही/इ.1/5937 दिनांक 24 दिसम्बर 1992 को रद्द बदल करते हुए केन्द्र सरकार देवलाली छावनी क्षेत्र के भवनों और मकानों पर नीचे दिए गए वर्गीकृत दर में निम्नलिखित कर लागू करती है :—

(अ) कर हेतु निर्धारित किए गए मकानों तथा भवनों पर संपत्ति कर, सफाई कर, जल कर तथा बिजली कर के बदले में वार्षिक किराया मूल्य के 22 प्रतिशत दर से एक समेकित कर लागू किया जायेगा ।

(ब) कर बिल जारी होने के तिथि से एक मास के अंदर कर देय का भुगतान करने वाले करदाताओं को एक प्रतिशत छूट दी जायेगी ।

टिप्पणी : यह अधिसूचना इस संबंध में इससे पूर्व प्रकाशित हुई अधिसूचना संख्या का. नि. आ. 207/आरईव्ही/इ.1/5937 दिनांक 24 दिसम्बर 1992 को रद्द बदल करती है ।

एन. श्रीनिवास रेड्डी
छावनी अधिशासी अधिकारी
देवलाली छावनी

छावनी परिषद्

जम्मू-छावनी, दिनांक 31 जनवरी 1997

सं. 4/ए/96-97—चूंकि कुछ उप-नियमों का मसौदा छावनी बोर्ड, जम्मू के दिनांक 20 मई, 1996 की सूचना पत्र संख्या : 4/ए/96-97 के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था जो छावनी अधिनियम, 1924 (1924 के 2) की धारा 284 के अंतर्गत अपेक्षित था ताकि इस पर इसके प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर आपत्तियां अथवा सुझाव प्राप्त हो सकें ।

चूंकि उक्त अधिसूचना दिनांक 20 मई, 1996 को छावनी बोर्ड कार्यालय के सूचना-पट्ट पर लगा दी गई थी ।

और चूंकि प्रस्तावित संशोधनों पर किसी प्रकार की आपत्तियां/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

और जैसाकि उक्त अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 के अंतर्गत अपेक्षित है केन्द्रीय सरकार ने उप-नियमों के मसौदे को विधिवत् रूप से अनुमोदित कर दिया है ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 186 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "जम्मू छावनी बोर्ड" निम्नलिखित उप-नियम लागू करता है :

1. (लघु शीर्षक व प्रारम्भ) लागू होना :

1. इन उप-नियमों को जम्मू छावनी (भवन निर्माण एवं पुनर्निर्माण) संशोधित उप-नियम 1995 कहा जायेगा ।

2. सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से ही यह लागू हो जायेंगे ।

2. (परिभाषाएं) :

इन उप-नियमों में :

(क) सूखा शौचघर वो शौचघर है जिसमें से मल को किसी आदमी द्वारा (हाथ से) अथवा खुली नाली में छोड़कर साफ किया जाये ।

(ख) स्वक्षालन शौचालय वो शौचालय है जिसमें से मल साफ करने के लिए किसी आदमी को न लगाना पड़े व सफाई की सारी प्रक्रिया स्वाचलित व पानी पर आधारित हो व सारा मल सीधे किसी भूमिगत सेप्टिक टैंक अथवा मल व्यवस्था में चला जाये ।

(ग) तहखाना (बेसमेंट) वो आवास है जो भूमि-तल के नीचे सीधा अथवा समतल बनाया गया हो ।

(घ) ऐसे शब्द व अभिव्यक्तियां जो प्रयोग की जा रही हैं व जिन की परिभाषा यहां नहीं दी गई परन्तु जिन्हें छावनी अधिनियम, 1924 में परिभाषित किया गया है, उनके अर्थ व परिभाषा क्रमशः वही रहेंगी जो अधिनियम में दी गई हैं ।

3. सूखे शौचघरों के निर्माण पर रोक (निषेध) :

इसके बाद कोई भी व्यक्ति छावनी क्षेत्र में सूखे शौचघर का निर्माण नहीं करेगा । छावनी क्षेत्र में स्थित सभी सूखे शौचघरों को इन उप-नियमों के प्रकाशन से एक वर्ष की अवधि के भीतर ही स्वक्षालन शौचालयों में परिवर्तित कर दिया जायेगा ।

4. (जम्मू छावनी) भवन निर्माण एवं पुनर्निर्माण :

उप-नियम 1980 के पैरा 7(4) में से कृपया निम्नलिखित शब्द निकाल दिए जायें ।

"सिवाय उन क्षेत्रों के जहां पानी का दबाव पर्याप्त नहीं है"।

5. (तहखानों) बेसमेंट्स का निर्माण :

कोई भी व्यक्ति क्षेत्र में छावनी बोर्ड की पूर्वानुमति के बिना तहखानों का निर्माण नहीं करेगा । भूमितल से 2.5 मीटर से अधिक गहरे तहखानों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी । इन तहखानों का निर्माण पंजीकृत वास्तुकार अथवा पंजीकृत लोक अभियन्ता अभिकल्प (सिविल इंजीनियर डिजाइनर) द्वारा प्रमाणित अभिकल्प (डिजाइन) के आधार पर स्टील की समुचित मात्रा के साथ और सी. सी. के 1 : 2 : 4 के अनुपात में ही किया जायेगा । इन तहखानों में 20% फर्श को खुला छोड़ते हुए हवादारी (वायु संचालन) की समुचित व्यवस्था की जाये ।

6. (अर्थ दण्ड/जुर्माना) :

यदि कोई व्यक्ति तीन और पांच उप-नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसे रु. 1000.00 का जुर्माना किया जायेगा व इसके साथ ही साथ ऐसे सूखे शौचघर व तहखानों के ढाये जाने के लिये भी वो स्वयम् ही जिम्मेदार होगा ।

बी. सी. उपाध्याय
छावनी अधिशासी अधिकारी जम्मू

STATE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

Mumbai, the 23rd December 1996

NOTICE

In terms of Section 35(B) of the Banking Regulations Act, 1949, the State Bank of India, with the approval of Reserve Bank of India, have extended the tenure of Shri Virendra Gupta as Managing Director of SBI Commercial and International Bank Ltd. (SBICI) upto 30th September, 1997.

P. G. KAKODKAR
Chairman

The 24th December 1996

In terms of Section 29(1) of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, the State Bank of India, after consulting the Board of Directors of the State Bank of Saurashtra and with the approval of the Reserve Bank of India, have appointed Shri S. B. Kucheria as Managing Director of State Bank of Saurashtra w.e.f. the date he assumes charge to 31st August, 1999.

P. G. KAKODKAR
Chairman

The 26th December 1996

In terms of Section 29(1) of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, the State Bank of India, after consulting the Board of Directors of the State Bank of Travancore and with the approval of the Reserve Bank of India, have appointed Shri G. G. Vaidya as Managing Director of State Bank of Travancore w.e.f. the date he assumes charge to 9th October, 1998.

P. G. KAKODKAR
Chairman

In terms of Section 29(1) of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, the State Bank of India after consulting the Board of Directors of the State Bank of Indore and with the approval of the Reserve Bank of India, have appointed Shri Ram K. Gupta as Managing Director of State Bank of Indore w.e.f. the date he assumes charge to 30th April, 1999.

P. G. KAKODKAR
Chairman

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110 002, the 24th January, 1997

No. 13-CA(Exam)/M/97:—In pursuance of regulation 22 of the Chartered Accountants Regulations 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that the Foundation, Intermediate and Final Examinations will be held on the dates given below at the following centres provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each centre:—

FOUNDATION EXAMINATION:

7th, 8th, 9th and 10th May, 1997.

INTERMEDIATE EXAMINATION:

Group I : 2nd, 3rd and 5th May, 1997.
Group II : 6th, 7th and 8th May, 1997.

FINAL EXAMINATION :

Group I : 2nd, 3rd, 5th & 6th May, 1997.
Group II : 7th, 8th, 9th and 10th May, 1997.

CENTRES

(1) AGRA
(2) AHMEDABAD
(3) AJMER
(4) ALLAHABAD
(5) AMBALA
(6) BANGALORE
(7) BARODA
(8) BELGAUM
(9) BHOPAL
(10) CALCUTTA
(11) CALICUT
(12) CHANDIGARH
(13) CHENNAI (MADRAS)
(14) COIMBATORE
(15) CUTTACK
(16) DELHI/NEW DELHI
(17) ERNAKULAM
(18) GAUHATI
(19) GHAZIABAD
(20) GOA
(21) GWALIOR
(22) HYDERABAD
(23) INDORE
(24) JAIPUR
(25) JAMMU
(26) JODHPUR
(27) KANPUR
(28) KATHMANDU (NEPAL)
(29) KOTTAYAM
(30) LUCKNOW
(31) LUDHIANA
(32) MADURAI
(33) MANGALORE
(34) MEERUT
(35) MUMBAI (BOMBAY)
(36) MYSORE
(37) NAGPUR
(38) NASIK
(39) PATNA
(40) PUNE
(41) RAIPUR
(42) RAJKOT
(43) SALEM
(44) SURAT
(45) TIRUCHIRAPALLI
(46) TRICHUR
(47) TRIVANDRUM
(48) UDAIPUR
(49) VIJAYAWADA
(50) VISAKHAPATNAM
(51) YAMUNA NAGAR.

Only Intermediate and Final Examinations will be held at Kathmandu (Nepal) Centre.

Payment of fees for the examinations should be made only by Demand Draft. The Demand Drafts may be of any nationalised bank and should be drawn in favour of the Secretary to the Institute payable at New Delhi only.

The Council reserves the right to withdraw any centre at any stage without assigning any reason.

Applications for admission to these examinations are required to be made on the relevant prescribed form, copies of which may be obtained from the Additional Secretary (Examinations), The Institute of Chartered Accountants of India, Indraprastha Marg, New Delhi-110 002 on payment of Rs. 15/- per application form.

Applications together with the necessary certificates and the prescribed fee by Demand Drafts of any nationalised bank may be sent so as to reach the Additional Secretary (Examinations) at New Delhi not later than 26th February, 1997. However, applications will also be received direct by Delhi Office after 26th February, 1997 and upto 5th March, 1997 with late fee of Rs. 50/-. Applications received after 5th March, 1997 shall not be entertained. Applications will also be received by hand delivery at the office of the Institute at New Delhi and at the Regional and Branch Offices of the Institute at Mumbai (Bombay), Calcutta, Chennai (Madras), Kanpur, Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad and Pune upto 26th February, 1997.

Candidates residing in these cities are advised to take advantage of this facility.

The fees payable for the various examinations are as under:—

FOUNDATION EXAMINATION :

Fee	Rs. 375/-

INTERMEDIATE EXAMINATION :

For Both the Groups . .	Rs. 525/-
For One of the Group . .	Rs. 300
For *Unit 1	Rs. 300/-
For *Unit 2	Rs. 300/-
For *Unit 3	Rs. 225/-
For *Unit 4	Rs. 300/-

* The expression 'unit' is a set of papers in which candidates, who have passed in any one but not in both the groups of the Intermediate Examination prior to the commencement of examination under the syllabus specified in paragraph 2A of Schedule 'B' of Chartered Accountants Regulations, 1988, are required to appear and pass.

FINAL EXAMINATION:

For Both Groups . . .	Rs. 600/-
For One of the Group Only	Rs. 350/-
**Unite onsisting of upto 2 papers	Rs. 275/-
**Unit Consisting of more than 2 papers but upto 4 papers	Rs. 350/-
**Unit consisting of 5 or more papers	Rs. 600/-

**The expression 'unit' is a set of papers in which candidates, who have passed in any one or more but not in all the groups of the Final Examination under syllabus as specified in Schedules 'B' or 'BB' of Chartered Accountants Regulations, 1964, prior to November, 1986 are required to appear in together and pass in the remaining corresponding papers under the new syllabus as per para 3A of Schedule 'B' to Chartered Accountant Regulations, 1988.

Candidates of Intermediate and Final Examinations opting for Kathmandu centre are required to remit Rs. 750/- or its equivalent relevant foreign currncy, irrespective of whether the candidates appear in a single paper, in a group, in a unit or in both the groups.

OPTION TO ANSWER PAPERS IN HINDI:

Cadidates of Foundation, Intermediate and Final Examinations will be allowed to use the Hindi medium for answering papers. Detailed information will be found printed in the Information sheets attached to the relavent application form.

JAGDAMBA PRASAD,
Additional Secretary (Exams.)

Kanpur-208 001, the 18th December 1996

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3CCA(4)(2)/96-97—In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Section 20(1)(a) of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on account of teath the names of the following members with effect from the date mentioned against their names :

S.No.	MRN	Member Name & Address	Canc. Date
1.	004684	Mr. Mehta Gautam Raj, B Lakshmi Petrol Pump M.I. Road Jaipur-302 001	01-10-95
2.	008748	Mr. Jain Padam Chand 6 Navyug Market Ghaziabad-201 001	18-07-96
3.	009041	Mr. Sharma Gurcharan Lal 1/229 Vikas Nagar Kursi Road Lucknow-0	24-02-96
4.	073700	Mr. Ajay Shanker B-713, Sector C-4 Mahanagar Lucknow-0	12-05-96
5.	083736	Mr. Goel Tarlok Chand 9-A New Mandi Behind S.B.B.J. Muzaffarnagar-251 001	04-04-96

K.R.A.N. IYER
Secretary (Current Charge)

The 7th January 1997

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3CCA(4)(3)/96-97.—In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it it hereby notified that in exercise of the powers conferred by Section 20(1)(c) of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this

Institute w.e.f. 1-10-96 on account of non-payment of prescribed fee the names of the following members :

S. No., MRN,	Member Name & Address—Page 1
1. 055449	Mr. Barnwal Arvind Kumar, Sangam Gali (Barnwal Medical), Mauna.h Bhanjan, Mau-275 101.
2 073591	Mr. Bhattacharya Anjan, D-2020, Indira Nagar, Opposite Bharat Overseas Bank, Lucknow-226 016.
3. 074341	Mr. Jhanwar Om Prakash, C/o Ramkishore Rathi & Company, UG 3, Gulab Bhawan, Chopasani Road, Jodhpur-342 003.
4. 091688	Mr. Dixit Santosh Kumar, Pachouri Compound, Near Hotel Meghdoot, Court Road, Mainpuri.

K. R. A. N. IYER
Secretary (Current Charge)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 22nd November 1996

No. X-11/14/3/90-Col.II.—The Employees' State Insurance Corporation, vide its notification No. X-11/14/3/90-P&D. Col.II dated 5-2-96 published in the Gazette of India, Part-III Section-4 of 24-2-1996 had extended the period of review of modifications made in the eligibility conditions, duration and rates of benefits for the cashew workers further by one year commencing w.e.f. 1-10-95.

The ESI Corporation again considered the matter at its meeting held on 5-10-96 and decided not to extend the scheme beyond the stipulated date i.e. 30-9-96. However, it was decided that the workers who became eligible under the cashew workers scheme w.e.f. 1-7-96 would continue to be provided medical benefit upto 31-12-96 but the cash benefits would be restricted for the period ending 30-9-96 only.

B. K. GUPTA
Insurance Commissioner

New Delhi, the 16th December 1996

No. U-16/53/94-Med.II (Assam).—In pursuance of the Resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25-4-51 conferring upon the Director General the power of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulations, 1950, I hereby extend the services of Dr. A. P. Sarma, to function as Medical Authority for further period (with effect from 1-12-96 to 31-10-97) or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier for Chanderpur Centre and the areas to be allocated by the Regional Dy. Medical Commissioner (East Zone) at a monthly remuneration in accordance with existing norms, for the purpose of medical examination of Insured Persons and grant of further certificates to them, when the correctness of the original certificates is in doubt.

S. K. SHARMA
Director General

The 3rd January 1997

No. U-16/53/96-Med.II (Mah.).—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation, at its meeting held on 25th April, 1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulations, 1950, I hereby authorise Dr. K. P. Bhagat, Medical Superintendent, ESI Hospital Vashi as Part Time Medical Referee ex-officio in addition to his duties to function as medical authority w.e.f. the date he assumes charge for one year or till a Full Time Medical Referee joins, whichever is earlier, in Mumbai, Local Office Vashi centre at a monthly remuneration as per existing norms on the basis of number of insured persons and the areas to be allocated by the Dy. Medical Commissioner (West Zone) for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the corectness of the original certificate is in doubt.

S. K. SHARMA
Director General

New Delhi, the 13th December 1996

No. N-15/13/12/2/96-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 16-12-1996 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulations 95-A and the Rajasthan Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Rajasthan namely :—

"The areas comprising revenue village, Sanwatsar in Tehsil Kishangarh, of District Ajmer."

L. K. PATTANAIK
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/12/1/96-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 16-12-1996 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Rajasthan Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Rajasthan namely :—

"The areas comprising the revenue village, Naya Nohra, of Tehsil Ladpura in District Kota".

L. K. PATTANAIK
Joint Director (P&D)

The 3rd January 1997

No. N-15/13/14/2/95-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations 1950, the Director General has fixed the 1-7-1996 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954, shall be extended to the families of insured persons in the following areas in the State of Tamil Nadu namely :—

"Areas comprising the revenue villages of Thimmarasanaickanur, Koilpatty, Shanmugasundarapuram, and T. Subbulapuram of Andipatti Taluk in Mudurai District."

L. K. PATTANAIK
Joint Director (P&D)

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
HEAD OFFICE
New Delhi-110066, the 21st January, 1997

No. Conf. 5(13)/95/HP/183—In pursuance of sub-Paragraph (1) of Paragraph 4 read with Paragraph 5 of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, and in supersession of the Notification No. Conf. 5(13)89/HP/334-40 dated 31-1-92 issued by the Central Provident Fund Commissioner, published in the Gazette of India, Part-III, Section 4 dated 31st January, 1992, the Chairman Central Board of Trustees, Employees' Provident Fund sets up a Regional Committee for the State of Himachal Pradesh consisting of the following persons namely :—

CHAIRMAN	
1. Financial Commissioner-cum Secretary (Labour) to the Govt. of Himachal Pradesh	Appointed by the Chairman of the Central Board.
MEMBERS	
2. Labour Commissioner Himachal Pradesh	Two Officials appointed by the Chairman of the Central Board on the recommendations of the State Govt.
3. Joint Secretary (Financial Regulations) Government of Himachal Pradesh.	
EMPLOYERS' REPRESENTATIVES	
Secretary General, Federation of Commerce & Industry Saraf Ganj, Shimla-1	Three representatives of Employers appointed by Chairman of the Central Board in consultation with the Organisation of Employers in the State.
5. Shri Arun Suri, Chief Executive M/s. Morepen Industries Pvt. Ltd. Vill. Masul Khanna, Parwanoo Distt. Solan, H.P.	
6. Shri Alok Sharma, Manager, M/s. Forge (India) Pvt. Ltd., Plot No. 60, Sector 5, Parwanoo, H.P.	
EMPLOYEES' REPRESENTATIVES	
7. Smt. Kanta Sood, President, I.N.T.U.C. 35, the Mall, Shimla-1	Three representatives of employees appointed by the Chairman of the Central Board in consultation with the Organisation of Employees in the State.
8. Shri Kameshwar Pandit, President, All India Trade Union Congress, Fay Lodge, Shimla-1.	
9. Shri Vijay Singh, General Secretary, Bhartiya Mazdoor Sangh, Vill. & P.O. Bedhra Via Sloh, Distt. Una, H.P.	
10. Regional Provident Fund Commissioner in-Charge of the State shall be the Secretary of the Regional Committee.	

R. S. KAUSHIK
Central Provident Fund Commissioner

CANTONMENT BOARD
Deolali, the, 31st December 1996

File No. 207/REV/E.1/2944.—Whereas a Public Notice of certain draft proposals to the imposition of tax on buildings and houses within the area of Deolali Cantonment was published as required by section 61 read with section 255 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) on 17th June, 1995 in the local newspapers and also by affixing copy of the same in conspicuous parts of the Cantonment area Deolali, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of thirty days from the date of publication of the said notice;

AND whereas objections and suggestions received from the affected persons were considered by the Cantonment Board, Deolali;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 60 of the said Act, and in supersession of the Notification of the Government of India, in the Ministry of Defence number SRO 207/REV/E-1/5937, dated 24th December, 1992, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the Central Government hereby imposes the following tax on buildings and houses within the area of Deolali Cantonment at the rates specified below namely :—

(a) A Consolidated Tax at the rate of 22% on the Annual Letting Value of such buildings and houses shall be levied in lieu of Property Tax, Conservancy Tax, Water Tax and Lighting Tax.

(b) 1% rebate shall be given to the tax payers who pay the tax dues within one month of issue of tax bills.

NOTE : This notification supersedes previous Notification No. SRO 207/REV/E-1/5937 dt. 24th December, 1992 published in this regard.

N. SRINIVASA REDDY
Cantonment Executive Officer
Deolali Cantonment

Jammu Cantonment, the

No. 4/A/96-97.—Whereas a draft of certain bye-laws was published vide Cantonment Board Jammu notice No. 4/A/96-97 dated 20th May, 1996 as required by section 284 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) for inviting objections/suggestions till the expiry of a period of 30 days from the publication of that notice;

And whereas the said notice was put on Cantonment Board notice Board on 20th May, 1996;

And whereas no objections/Suggestions have been received from the public to the proposed amendments;

And whereas the Central Govt. have duly approved to the said draft of the bye-laws as required by section 1 of section 24 of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 186 of the said Act, the Jammu Cantonment Board makes the following bye-laws, namely :—

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT :

(1) These bye-laws may be called the Jammu Cantt. (Erection and Re-Erection of Buildings) amendment bye-laws 1995.

(2) They shall come into force from the date of publication in the official gazette.

2. DEFINITIONS :—In these Bye-laws,

(a) "dry latrine" means the latrine where night soil would be required to be removed manually of discharged into an open drain.

(b) "flush latrine" means a latrine where no manual removal of night soil will be involved and the process would be completely automatic/waterborne leading to disposal in an underground septic tank/sewage.

(c) "basement" means any accommodation made vertically or horizontally below the ground level.

(d) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Contonment Act, 1924 shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Act.

3 PROHIBITION IN CONSTRUCTION OF DRY LATRINES.

No person shall hereafter construct dry latrines in the Cantonment. All latrines in the Cantonment area which are presently of dry type will be converted into flush latrines within a period of one year of publication of these bye-laws.

4. In para 7(4) of the Jammu Cantonment (Erection and Re-erection of building) Bye-laws 1980 the following words are deleted :—

"Except where the water pressure is not adequate".

5. CONSTRUCTION OF BASEMENTS :

No person shall construct basement in the Cantonment area without prior permission of the Cantonment Board. The basements of more than 2.5 mtrs. below the ground level will not be allowed. The basements will be constructed of RCC of the ratio of 1:2:4 with appropriate quantity of steel depending upon the design to be certified by a registered Architect or a registered Civil Engineer designer. There will be adequate ventilation facilities to the basement floor through openings of 20% of the area the floor.

6. PENALTY

If any person contravenes any of the provisions of bye-laws 3 and 5, he shall be punished with a fine of Rs. 1000/- besides making himself liable for demolition and closure of such dry latrines and basements.

J. C. UPADHYAY
Cantonment Executive Officer
Jammu

Principal Notification vide SRO No. 4/A 80-81 dated 2-8-1980 (DGDE File No. 12/1/C/DE/96).

PUNJAB WAKF BOARD
Ambala Cantt., the 20th December 1996
DELEGATION OF POWERS

No. Wakf/2,42/87/96.——I, A. A. Sidiqui, IPS, Administrator, Punjab Wakf Board, Ambala Cantt. in exercise of powers conferred on me under section 27 of the Wakf Act, 1995 and all enabling powers in this behalf delegate the following powers of the Board to all its Estate Officers with immediate effect.

1. To institute suits for permanent injunction in emergent cases, to engage counsel, to sign and varify pleadings of such cases, the applications under order 39 Rule 1 & 2 CPC, to swear and verify affidavits. But if there is some time to obtain the permission, they will endeavour to obtain the permission and this power must be exercised in emergent circumstances only. But they will report the matter to the Head Office and obtain permission to persue the case and get the act ratified.

2. To sign and verify the pleadings, to sign and move the execution applications, restoration applications, ex-parte setting aside applications, the same having been approved by the Head Office of the Punjab Wakf Board and to engage Counsel and to execute Vakalatnama in favour of the Counsel of the Board.

3. To institute and sign the applications before any authority, Court or Gram Panchayat regarding revenue cases, engage counsel and execute Vakalatnama for that purpose.

4. To lodge F.I.R. with the police in which criminal action is required to be taken or in case of apprehension of trespass on Wakf property/land.

5. To appear in appeals/revisions Land Acquisition proceedings and other miscellaneous proceedings pending before any court and authority on behalf of or against the Board and to give a statement on oath or otherwise being instructed by the Head Office in that behalf and to do all acts necessary for the prosecution/defence of the said proceedings.

6. To attest copies from the original record in the manner provided in section 76 of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872) for filing the same in the court relating to any suit, application, appeal, revision, execution, writ or any other executive or judicial proceedings. This power shall be exercised by the Estate Officers only for the purpose of filing in the cases in which Board is a Party and for the benefit of the Board, but they will not issue any copy to any other person.

7. To take possession or effect recovery in execution proceedings.

8. To receive A/c payee vouchers from court or any other authority on behalf of Board with prior permission of the Head Office. But such powers will not include the power to comprise any proceedings or withdraw any case without obtaining the permission from the Head Office earlier stating the reasons/grounds of compromise therein.

The above delegation of powers are in lieu of and in supersession of the powers delegated to the Estate Officers on 18-4-1989 vide Notification No. Wakf 2(42)/87/89.

A. A. SIDDIQUI
IPS
Administrator

प्रभारक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1997
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1997